तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/5429/2005/जयपुरर शंकर बनाम ताराचन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.04.26	**<u>एकल–पीठ</u>** **श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य** **<u>उपस्थित :</u>** श्री हंगामी लाल चौधरी, अभिभाषक अपीलांट। अभिभाषक रेस्पो0 अनपुस्थित एकपक्षीय बहस सुनी गयी **<u>निर्णय</u>** यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व निर्णय न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर दिनांक 27.09.2005 के प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नामांतरकरण संख्या 24 ग्राम बिशनसिंहपुरा का काना, श्रवण पुत्र नानगराम के स्थान पर ताराचन्द पुत्र छगनलाल के नाम तहसीलदार, बस्सी द्वारा दिनांक 16.08.1977 को स्वीकृत किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स काना व श्रवण द्वारा प्रथम अपील न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27.07.1984 से अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण तहसीलदार, बस्सी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः निर्णय पारित करे। उक्त आदेश की पालना में पत्रावली तहसीलदार को पुनः प्राप्त होने पर तहसीलदार, बस्सी ने अपने आदेश दिनांक 29.12.1997 को नामांतरकरण संख्या 24 दिनांक 16.08.1977 को अपास्त करते हुये निर्देश दिये कि अगर नामांतरकरण संख्या 21 नियमानुसार हुआ है तो उसका इन्द्राज किया जावे। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्व रेस्पो0 ताराचन्द द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त , जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जिसे न्यायालय संभागीय आयुक्त ने निर्णय दिनांक 27.09.2005 द्वारा अपील स्वीकार करते हुये प्रकरण उभयपक्ष की सुनवाई का समुचित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/5429/2005/जयपुरर शंकर बनाम ताराचन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अवसर दिये जाने के उपरांत विधिसम्मत निर्णय पारित करे। न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के उक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट के हक में नामांतरकरण संख्या 21 जो धारा 19 के तहत स्वीकृत किया गया था जिसे रेस्पो0 ने किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी है। इसी दौरान रेस्पो0 द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर, (प्रथम) जयपुर के समक्ष एक दावा प्रस्तुत किया गया जो खारिज हो चुका है। नामांतरकरण एक फिस्कल प्रोसिंडिग है जिससे पक्षकारान के हक हकूक निर्धारित नहीं किये जा सकते है। उनका कथन है कि विवादित आराजी पर अपीलांट एवं उसके पूर्वजों का कदीमी कब्जा है एवं अपीलांट के पूर्वजों के पक्ष में नामांतरकरण संख्या 21 स्वीकृत हो चुका था। तत्पश्चात दिनांक 16.08.1977 को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नामांतरकरण संख्या 24 रेस्पो0 के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया। अपीलांट के पूर्वजों द्वारा न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, दौसा के समक्ष अपील किये जाने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, बस्सी को रिमाण्ड की गयी। तहसीलदार द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने पर तहसीलदार अपने आदेश दिनांक 29.12.1997 से नामांतरकरण संख्या 24 को अपास्त कर दिया। जिसकी अपील रेस्पो0 द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिसे संभागीय आयुक्त न्यायालय ने स्वीकार करते हुये पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त के समक्ष पेश की गयी जो पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य थी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/5429/2005/जयपुरर शंकर बनाम ताराचन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परन्तु संभागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा उसे स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2018 आर0आर0डी0 पेज 175 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का आद्योपांत अवलोकन एंव अध्ययन किया। प्रकरण में तहसीलदार की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया, जिसमें दिनांक 06.08.1997 को काना का लड़का प्रहलाद उपस्थित है। ताराचन्द की प्रोपर तामील होना नहीं पाया जाता है तथा ताराचन्द को पुनः तलब किया जाने का अंकन है। तत्पश्चात आगामी पेशी दिनांक 20.08.1997 को काना का लडका प्रहलाद उपस्थित। वास्ते साक्ष्य सबूत समय चाहता है अंकन है । इसी प्रकार अन्य पेशी दिनांक 03.09.1997, 15. 09.1997 व 22.09.1997 पर भी पहलाद की उपस्थिति दर्शायी गयी है। ताराचन्द की प्रोपर तामील होना नहीं मानते हुये पुनः नोटिस जारी करने के आदेश हुये पर नोटिस जारी होना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। आदेशिका दिनांक 29.12.1997 को रेस्पो0 ताराचन्द की तामील हुये बिना ही तहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर दिया गया। तहसीलदार की आदेशिकाओं का अध्ययन करने से पूर्णतः स्पष्ट होता है कि प्रकरण में रेस्पो0 ताराचन्द को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया है जिसे न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयुपर ने अपने निर्णय दिनांक 27..09.2005 से निरस्त कर प्रकरण को तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करे। न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल0आर0/5429/2005/जयपुरर शंकर बनाम ताराचन्द व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जिसमें हम किसी प्रकार की विधि एवं तथ्य संबंधित त्रुटि नहीं पाते है। उपरोक्त संपूर्ण विवेचन व विश्लेषण उपरांत न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2005 यथावत रखे जाने योग्य पाया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का इस प्रकरण पर चस्पा होना नहीं पाया जाता है।

परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2005 यथावत रखा जाता है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
सदस्य